न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

(98)

कैम्प कोर्ट–रीवा

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

धर्मराज सिंह पिता श्री बुचनू सिंह यादव आयु– 56 वर्ष

निवासी ग्राम–पोडी तहसील–नौरोजाबाद, III/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/2699

जिला उमरिया (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. आयुक्त महोदय जरिये संभाग आयुक्त म.प्र. शासन शहडोल
2. मध्य प्रदेश शासन जरिए–कलेक्टर महोदय, उमरिया (म.प्र.)
3. धर्मेन्द्र सिह पिता श्री बुचनू सिह यादव
निवासी ग्राम–पोडी तहसील–नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.). .... गैरनिगरानीकर्तागण

R-4042
5/8/2017

निगरानी निर्णय विरूद्व न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक–25.02.2016 जरिए प्रकरण क्रमांक–53/अपील/2015–16, धर्मराज सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन वगैरह, अन्तर्गत धारा–50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

1. यह कि उपरोक्त निगरानी श्रीमान् आयुक्त महोदय संभाग शहडोल जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक–53/अपील/2015–16 निर्णय दिनांक– 25.02.2016 से परिवेदित होकर उपरोक्त निगरानी मान्नीय न्यायालय के समक्ष सद्भाविक प्रस्तुत कर रहा है। प्रस्तुत निगरानी में पूर्व मे चले प्रकरणों के विधिक तथ्य एवं संक्षिप्त विधिक सारांश इस

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/2699

धर्मराज विरूद्ध आयुक्त शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-04-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के.बाजपेयी एवं शासकीय अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित । यह निगरानी कमिश्नर शहडोल संभाग के आदेश दिनांक 25-2-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । कमिश्नर का आदेश स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत है, जबकि यह अपील भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें यह अपील स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करने के की अनुमति देते हुए वापिस की जाये । शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । अत: आवेदन स्वीकार करके निगरानी तथा संलग्न दस्तावेज आवेदक को मूलत: वापिस किये जाते है । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	